

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक: स्था0 02/02-01/2017/.....31..... /पटना, दिनांक.....19.12.17

प्रेषक,

पूनम (भा०प्र०से०),
निदेशक,

सेवा में,

सहायक निदेशक (आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी), अर्थ एवं सांख्यिकी
निदेशालय, बिहार, पटना।

प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी), पटना, एवं मुजफ्फरपुर।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, गया, जहानाबाद,
नवादा, औरंगाबाद, मुंगेर, बेगुसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, बांका, पूर्णियाँ, अररिया,
कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी
चम्पारण, प० चम्पारण, वैशाली, सारण, सिवान एवं गोपालगंज।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्य शीर्ष 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी के स्थापना
एवं प्रतिबद्ध व्यय उपशीर्ष 0002 राज्य सांख्यिकी संगठन शीर्ष के अन्तर्गत कुल राशि
₹ 1,95,77,600/- (एक करोड़ पंचानवे लाख सतहत्तर हजार छः सौ रुपये) मात्र का
आवंटन।


महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-428/वि०
दिनांक-31.03.17 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2017-18 के
लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2017 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 31.03.2017 को तथा
पत्रांक-1208 दिनांक 13.12.2017 द्वारा बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक पर दिनांक 08.12.2017 को
स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।


- उक्त पत्रों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रावधानित राशि (द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण
सहित) की सीमा 31.03.2018 तक व्यय किया जा सकता है।
- तदनुसार उक्त पत्र के कंडिका-3 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न विवरणी के अनुसार
व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।
- संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष-02-सर्वेक्षण तथा
सांख्यिकी, लघु शीर्ष-204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, उप शीर्ष-0002-राज्य सांख्यिकी संगठन शीर्ष के अंतर्गत
आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०- 35 एवं विपत्र कोड- 35-3454022040002 है।
- संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 2 से 3 तथा 4 से 35 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
क्रमशः सहायक निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, संबंधित सभी प्रमंडलीय उप
निदेशक (सांख्यिकी) एवं सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।
- राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की
संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र पर निहित राशि की निकासी
की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित
राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं
व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।


7. प्रत्येक परिस्थिति में मद्दवार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय । इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।
8. व्यय का मासिक प्रतिवेदन अनुवर्ती माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगे।
9. जिन जिलों में अन्वेषक, रान्यास पदस्थापित हैं, नियमानुसार उनके यात्रा भत्ता विपत्र का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित करेंगे।
10. कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा (NILET) में उत्तीर्ण पदाधिकारियों/कर्मियों के द्वारा भुगतान की गई प्रशिक्षण शुल्क/शुल्क का नियमानुसार भुगतान प्रशिक्षण व्यय मद में आवंटित राशि से किया जाना है।
11. संविदा सेवाएं (28-02) मद में आवंटित राशि से रिक्त पद के विरुद्ध कार्यरत वाह्य स्रोत से सेवा प्राप्त वाहन चालक के पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना है।
12. वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटित राशि से नियमित वेतन भुगतान के पश्चात् यदि राशि अवशेष रहती है तो नियमानुसार बकाये वेतनादि का भुगतान किया जा सकता है।
13. वित्त विभाग के ज्ञापांक 599 दिनांक 07.07.2010 के आलोक में वेतन एवं भत्ते से संबंधित विषय शीर्षो -01-01 से 01-07 में यदि किसी विषय शीर्ष में कम राशि प्रावधानित/आवंटित है, तो जिस विषय शीर्ष में अधिक राशि प्रावधानित आवंटित है में से घटाते हुए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार राशि की निकासी की जा सकती है।
14. आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

विश्वासभाजन


बजट सहायक



प्रशाखा पदा०


सहायक निदेशक


निदेशक

ज्ञापांक31...../पटना, दिनांक19.12.17.....


प्रतिलिपि: 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


19.12.17

निदेशक

ज्ञापांक31...../पटना, दिनांक19.12.17.....


प्रतिलिपि: 1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना
2. संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


19.12.17

निदेशक

ज्ञापांक31...../पटना, दिनांक19.12.17.....

प्रतिलिपि: 1. योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)।
2. वरीय संयुक्त निदेशक /सभी उप निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।
3. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/निर्गत प्रशाखा को निर्गत करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, कनीय सांख्यिकी सहायक, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करने एवं श्री सुदामा कुमार, आई०टी० मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग को निदेशालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


19.12.17

निदेशक

आवंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, 0002-राज्य सांख्यिकी संगठन शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 का आवंटन विवरणी । मांग सं0-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022040002

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिनमें आवंटन दिया जा रहा है।	01-01 वेतन	01-03 जीवन यापन भत्ता	01-04 मकान किराया भत्ता	01-05 परिवहन भत्ता	01-06 विक्रिसा भत्ता	01-07 अन्य भत्ता	योग- वेतन एवं भत्ते	06-01 वि0 प्रतिपत्ति	11-01 यात्रा व्यय	13-01 कार्यालय व्यय	13-02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	13-03 दूरभाष	13-04 विद्युत प्रभार	13-05 विधि प्रभार	13-06 वर्दी/ पोशाक	14-01 किराया मरसल एवं कर	20-03 प्रशिक्षण व्यय	28-02 व्यवसायिक सेवाएं/ संविन्ना सेवाएं	कुल योग
1	अर्ध एवं सांख्यिकी निदेशालय	10500000	0	1000000	0	0	0	11500000	100000	0	0	0	0	0	0	60000	0	50000	0	11740000
प्रमंडलीय उप निदेशक(सांख्यिकी) कार्यालय																				
2	पटना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	0	0	0	6000
3	मुजफ्फरपुर	830000	0	89175	24000	26800	8560	978535	0	0	0	0	2000	0	0	12000	0	0	0	992535
जिला सांख्यिकी कार्यालय																				
4	पटना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	4000
5	नालन्दा	196000	0	35000	0	20400	0	251400	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	277400
6	भोजपुर	800000	0	96738	0	33850	1800	932388	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	934388
7	बक्सर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	5000	0	0	0	15000
8	रोहतास	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000
9	गया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	24000	30000
10	जहानाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	10000
11	नवादा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	4000	14000
12	औरंगाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000
13	मुंगेर	600000	0	132720	45380	20000	0	798100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798100
14	बेगूसराय	210000	0	35700	12400	11400	0	269500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8400	277900
15	खगड़िया	145500	0	0	0	7800	0	153300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153300
16	लखीसराय	500000	0	100000	0	4200	0	604200	0	0	0	0	2000	0	0	0	1000	0	0	607200

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	01-01 वेतन	01-03 जीवन यापन भत्ता	01-04 मकान किराया भत्ता	01-05 परिवहन भत्ता	01-06 विक्रिसा भत्ता	01-07 अन्य भत्ता	योग- वेतन एवं भत्ते	06-01 विो प्रतिपत्ति	11-01 यात्रा व्यय	13-01 कार्यालय व्यय	13-02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	13-03 दूरभाष	13-04 विद्युत प्रभार	13-05 विधि प्रभार	13-06 दर्जी/ पोशाक	14-01 किरया महसूल एवं कर	20-03 प्रशिक्षण व्यय	28-02 व्यवसायिक सेवाएं/ संवित्त सेवाएं	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
17	रोखपुरा	0	0	5737	0	200	0	5937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285000	290937
18	बांका	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	4000	20000	26000
19	पूर्णिमा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	2000
20	अररिया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000
21	कटिहार	168000	0	60500	21000	16800	0	266300	0	0	0	10000	2000	0	0	0	0	0	14000	292300
22	सुपौल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	3000	0	14000	0	27000
23	मधेपुरा	623300	0	65240	0	19700	0	708240	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	710240
24	दरभंगा	400000	0	100000	0	55200	0	555200	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	557200
25	मधुबनी	600000	0	100000	0	26000	0	726000	0	0	0	10000	2000	0	0	0	0	0	0	738000
26	समस्तीपुर	0	0	15000	0	3200	0	18200	0	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	21200
27	मुजफ्फरपुर	500000	0	52000	25000	30000	0	607000	0	0	0	0	0	0	0	6000	7400	0	0	620400
28	सीतामढ़ी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34000	34000
29	शिवहर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	2000	0	0	0	0	0	0	12000
30	पूर्वी चम्पारण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47000	47000
31	प० चम्पारण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	0	20000	0	0	0	0	22000
32	वैशाली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	10000
33	सारण	166500	0	43200	9500	8300	0	227500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	0	245500
34	सिवान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	2000	0	0	3000	0	0	0	15000
35	गोपालगंज	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	17000
	कुल योग:-	16239300	0	1931010	137280	283850	10360	18601800	100000	7000	0	110000	30000	0	70000	98000	8400	92000	460400	19577600

(एक करोड़ पंचानवे लाख सतहतर हजार छः सौ)

बजट सहायक

प्रशाखा पदाधिकारी

सहायक निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

निदेशक